मैसर्स मेघा मिनरल्स, क्वार्ट्ज माईन्स, पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई दिनांक 16.05.2023 मंगलवार प्रातः 11:30 AM बजे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम–भारोड़ी, तहसील–गोगुन्दा, जिला–उदयपुर

यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूर्व आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र प्रातःकाल एवं राष्ट्रदूत में दिनांक 16.04.2023 को प्रकाशित करवा दी गई थी।

यह जनसुनवाई "मैसर्स मेघा मिनरल्स" द्वारा प्रस्तावित क्वार्ट्ज खनन परियोजना (खनन पट्टा संख्या 60/2005 (लीज क्षेत्र 4.8750 हैक्टेयर) क्लस्टर के अन्तर्गत सभी खनन पट्टो जिसमें 1. मैसर्स राजदीप मिनरल्स एम एल न. 51/2005, एरिया 4.56 हैक्टेयर 2. मैसर्स मधु माईनिंग एण्ड मिनरल्स(नया नाम श्री दिनेश चन्द्र पालीवाल)एम एल न. 93/2013, एरिया 4.8122 हैक्टेयर 3. मैसर्स जी, जे, मिनरल्स(नया नाम श्री विवेक सिंह राजावत)एम एल न. 108/2005, एरिया 4.80 हैक्टेयर 4. मैसर्स निमडी माईन्स एल. एल. पीएम एल न. 87/2011, एरिया 4.0664 हैक्टेयर (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 23.1136 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 4,32,251 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम.) हैं,को शामिल करते हुए कुल क्लस्टर क्षेत्र 23.1136 हैक्टेयर, प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 4,32,251TPA (ROM) एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज उत्पादन क्षमता 47,428 TPAनिकट ग्राम–ग्राम–भारोड़ी, तहसील–गोगुन्दा, जिला–उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 1.55 करोड़ है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्व करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी.फोटोग्राफ(संलग्नक "अ") के अनुरूप कार्यवृत बनाए जा रहे है। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA), जयपुर को प्रेषित करेंगे क्योंकि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 14.09.2020 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एवं उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी संपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(ओ.पी. बुनकर)
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

यह जनसुनवाई श्रीमान ओ0पी0 बुनकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर की अध्यक्षता एवं शरद सक्सेना क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर की उपस्थिति में आयोजित की जा रही है। जनसुनवाई में नामित अधिकारीगण एवं क्षेत्र के ग्रामवासियों का उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक ''ब'') उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार आमसुचना समाचार पत्र ''राष्ट्रदूत'' में दिनांक 16/04/2023 तथा ''प्रातः काल'' दिंनाक 16/04/2023 को प्रकाशित करवा दी गयी थी(संलग्नक ''स'') ।

जनसुनवाई का विवरण निम्न प्रकार है :–

इसके पश्चात् खनन परियोजना के पर्यावरणीय/तकनीकी सलाहकार श्री निमीष सिंघवी, कोंगनिजेन्स रिसर्च इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से आग्रह किया की इस खनन परियोजना के बारे में प्रजेन्टेशन के माध्यम से उपस्थित ग्रामवासीयों/जनसमूह को अवगत कराये।

परियोजना के पर्यावरणीय/तकनीकी सलाहकार कि ओर से सुश्री कायनात आजम ने भारोडी क्वार्टज माईन क्लस्टर की खदान खनन पट्टा संख्या 60/2005 खनन क्षेत्रफल 4.8750, उत्पादन क्षमता 47428 प्रतिवर्ष, कलस्टर में स्वीकृत अन्य खनन पट्टे 1. **मैसर्स राजदीप मिनरल्स** एम एल न. 51/2005, एरिया 4.56 हैक्टेयर 2. **मैसर्स मधु माईनिंग एण्ड मिनरल्स(नया नाम श्री दिनेश चन्द्र पालीवाल)**एम एल न. 93/2013, एरिया 4.8122 हैक्टेयर 3. **मैसर्स जी, जे, मिनरल्स(नया नाम श्री विवेक सिंह राजावत)**एम एल न. 108/2005, एरिया 4.80 हैक्टेयर 4. **मैसर्स निमडी माईन्स एल. एल. पी**एम एल न. 87/2011, एरिया 4.0664 हैक्टेयर (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 23.1136 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता 4,32,251 टन प्रति वर्ष आर.ओ.एम.)की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताए, खनन योग्य खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षैत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण सरक्षण के उपाय, कामगारो के कल्याण के लिए और प्रस्तावित नियमित सामाजिक जिम्मेदारी (ESR) से सम्बधित जानकारी उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह को बताई गयी।

तत्पश्चात श्री शरद जी सक्सेना, क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर ने लोकसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह से आग्रह किया कि आप खनन परियोजना से पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव से सम्बन्धित प्रश्न/आपेक्ष मौखिक/लिखित रुप से दे सकते है।

उपस्थित ग्रामवासियों/जनसमूह द्वारा प्रस्तुत सुझाव/आपेक्ष एवं परियोजना के पर्यावरणीय/तकनीकी सलाहकार तथा खनन पट्टाधारी द्वारा किये गये आश्वासन निम्नानुसार है:–

1. **श्री जगत सिंह ग्राम** भारोडी :–मेरा नाम जगत सिंह है लेकिन जो यह मैडम ने अभी जैसी बात बताई कि वो तो कागजात में अभी वो धरातल पर नही है चालू। कि भई ये करेगे वो करेगे ये करेगे बताई। वो तो नही है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ।

   क्षेत्रीय अधिकारी:–माईन्स अभी ऑपरेशन में है क्या

   पर्यावरणीय सलाहाकारः–नही सर।

(ओ.पी. बुनकर)
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारीः— ये ऑपरेशन में कब से आयेगी।

पर्यावरणीय सलाहाकारः—ऑपरेशन में जब इसकी ईसी आयेगी उसके बाद में आएगी। अभी इसको ओपरशन में आने में टाईम है।

क्षेत्रीय अधिकारी—उसके बाद में आयेगी।

श्री जगत सिंह ग्राम भारोडी :— नही लेकिन अभी आप तो जन सुनवाई तो आप कर रहे हो। लेकिन वो नही है।

पर्यावरणीय सलाहाकार :—खर्चा कर रहे है गांव के लिए।

श्री जगत सिंह ग्राम भारोडी :— खर्चा तो कर ही रहे है।

क्षेत्रीय अधिकारी—ये आगे की बात कर रहे है।

श्री जगत सिंह ग्राम भारोडी :—लेकिन अभी वो तो धरातल पर है नही।

2. श्री भूर सिंह ग्राम भारोडीः—वो माईनिंग की वो माईन्स है जो पहले से, उसके नीचे खातेदारी जमीन हमारी है। और उस जमीन में अभी पहले खुदाई भी तो हो चुकी है तो खुदाई के बाद जितनी भी मिट्टी आ रही है वो हमारे खेतो में ही आ रही है और खेत बिल्कुल इस तरह से हो चुके है कि 10 साल से उनमें कुछ बोया नही जायेगा। इस तरह से थोडा मेरा कहने का मतलब यो है कि हमारी खातेदारी की जमीन जो है उसमें फसल बोयी नही जायेगी ऐसी स्थित वहॉ कंडिशन ऐसी है कि इस तरह से होगा तो हमारे गाय, भैस चरने मे भी दिक्कत आ रही है। अभी फसल बोने में भी बहुत दिक्कत आ रही है वहा पर बोने की स्थिति ऐसी है नही कि बोने की तो बोयेंगे कहॉ। खेत तो पुरी तरह से बिगाड कर दिया वहॉ का तो सर यही थोडा मेरा कहना है कि जा के भली आप देख भी सकते हो। लेकिन यही था मेरा कहना संक्षिप्त मे।

3. श्री दिनेश पालीवाल खान मालिकः— मैं निवेदन करूंगा। मेरी माईन्स पीछे की साईड में है। उसकी मिट्टी के लिये कह रहे है, उन्होने वर्किंग पहले किया हुआ है अपनी तो बन्द है वेसे, वो पीछे की साईड में माईन्स के बारे में कह रहा है इस माईन्स के लिए नही कह रहा है। उसके एम एल न. 61/2005 है।

क्षेत्रीय अधिकारीः— इसको हमने नोट कर लिया है इसको माईनिग गोवरमेन्ट को भेज देंगे।

4. श्री रूकमण सिंह ग्राम भारोडीः— बडे बडे वृक्ष थे मोइडे के पेड थें वो सब आज नष्ट हो गए है और अभी भी है, उनको भी हमने बोल रखा है मिट्टी मत डालो जो भी माईन्स वाले डालते है।

क्षेत्रीय अधिकारीः—पेड कितने लगा रहे है आप।

पर्यावरणीय सलाहाकार :—अपन तो एरिये का 33 परसेंट पेड लगाएंगे।

क्षेत्रीय अधिकारीः—लगभग पर साल कितने लगा रहे है ?

पर्यावरणीय सलाहाकारः—पर साल दो हजार पांच सौ बयालिस कलस्टर के।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(ओ.पी. बुनकर)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारीः— देखो अभी तो बरसात का सीजन आने वाला है। जिस जगह से आप बता रहे हो ना कि जहॉ से ये हट गये है पुरा फोकस उस पर करके उस पर लगाना।

श्री रूकमण सिंह ग्राम भारोडीः——जो मोए के जाड हे उनको तो हमारे बाप दादा ने लगाया हुआ है हम तो एसे कई बरस लग जाएंगे तो भी हम एसे जाड नही लगा सकते है।

रूकमण सिंह ग्राम भारोडीः—ये बोल रहे हे कि लगाने हे वहा एक भी पेड पौधा नही लगाया गया है।

5. **श्री दिनेश पालीवाल खान मालिकः**—ने बताया कि सर 93/2003 लीज के बारे मे बोल रहे है दिनेश पालीवाल के नाम से है उसमे कुछ पेड लगे हुए है और कुछ पेड गिरे है।

क्षेत्रीय अधिकारीः— माईन्स मे लगे हुए थे वो हट गए है।

श्री दिनेश पालीवाल खान मालिकः—ने बताया नही सर लगे हुए है लेकिन साईडो से खोद दिये है। पेड तो कुछ पेड गिरे है।

क्षेत्रीय अधिकारीः—क्लस्टर के अंदर वो माईन्स भी आ रही होगी ना।

पर्यावरणीय सलाहाकार—हॉ आ रही है।

क्षेत्रीय अधिकारीः—और कोई अपनी बात कहना चाहता है?

6. **श्री जोधसिंह ग्राम भारोडीः**— पर्यावरण की दृष्टि से हमारे गांव की काफी पर्यावरण की स्थिति बिगडी हुई है। पेड पौधे खत्म हो चुके है जहॉ माईन्स का क्षेत्र है वहॉ जगह नही है और जहॉ खेत है वहॉ खोद रहे है और जहॉ खेत की जगह नही है वहॉ खोद—खोद कर पत्थर डाले है।

क्षेत्रीय अधिकारी—आपके कहने का मतलब है कि अवैध माईनिंग हो रही है।

श्री जोधसिंह ग्राम भारोडीः—अवैध माईनिंग भी हो रही है। लीज के अंदर भी हो रही है।

क्षेत्रीय अधिकारीः—लीज के अंदर भी हो रही है?

श्री जोधसिंह ग्राम भारोडी —लीज के अंदर भी हो नी रही है।

क्षेत्रीय अधिकारी—इसका एक ज्ञापन हमें लिखित में देना।

श्री जोधसिंह ग्राम भारोडीः—:—हां।

क्षेत्रीय अधिकारीः—कोई अपनी बात कहना चाहता है तो आ सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारीः—अभी तो आपके तो बाकी तो लिज वाले है वो कोई कॉन्टेक्ट में है यहॉ के।

7. **श्री दिनेश पालीवाल खान मालिकः**—मेरे कॉन्टेक्ट में है। ये लिज वाले।

क्षेत्रीय अधिकारीः—हॉ लिज वाले।

श्री दिनेश पालीवाल खान मालिकः—है न सर अभी बंद पडा है।

क्षेत्रीय अधिकारीः:—अभी सब बंद पडी है।

(ओ.पी. बुनकर)
अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

8. श्री किशन सिंह ग्राम भारोडीः—एक माईन्स चल रही है। 4—4 साल चली माईन्स यहॉ पर। पर अभी तक एक भी पौधा किसी भी माईन्स वाले ने नही लगाया है। फिर बता रहे है कि पौधा लगा रहे है। कहॉ लगा रहे है? एक भी पौधा किसी ने नही लगाया। कोई माईन्स 4 साल से चल रही है तो किसी को 5 साल हो गये है। अभी तक एक भी पौधा किसी का लगाया हुआ नही है।

क्षेत्रीय अधिकारीः—और कोई बात कहना चाहेगे अपनी ?

9. श्री जगत सिंह ग्राम भारोडी :—लगा रहे है लेकिन एक भी नही लगाया। कहॉ लगाया। बताओ ?

क्षेत्रीय अधिकारीः—ये बात नोट कर ली है कि वो प्लांटेशन कब करेंगे।

श्री जगत सिंह ग्राम भारोडी :— हां वो ही है। वो ही कहना चाहता हूँ कि अब पालना हो इसकी।

ओ.पी.बुनकर, अति. जिला **कलक्टर महोदयः**—क्षेत्रीय अधिकारी यहॉ पधारे हुए समस्त ग्रांव वासियो एवं पटवारी जी, आज की ये जो जनसुनवाई हुई है। आप के गांव में जो माईन्स ऑपरेट होने वाली है। उसकी जो पर्यावरण में स्वीकृति जो जारी होगी उसके लिये जनसुनवाई है कि उसमें आपकी बात सुनी जाये। आपने जो भी अभी अपनी बात बताई है वो सारी नोट कर ली गई है। उसकी वीडियोग्राफी हो रही है। उसके अलावा भी आप अपनी बात रखना चाहते है वो लिखित में भी दे सकते है और कोई मैसेज, मेल से भेजना चाहे तो मेल से भेज दे। हमे हार्ड कॉपी देना चाहे वे दे सकते है और अपकी बात को मद्देनजर रखते हुए इसमें जो पर्यावरण स्वीकृति का निर्णय होगा वही निर्णय लिया जाएगा। पुनः मै एक बार आप से निवेदन करना चाहूँगा कोई और भी अपनी बात रखना चाहता है तो वह रख सकता है।

क्षेत्रीय अधिकारीः—और कोई अपनी बात कहना चाहता है तो आ सकता है?

क्षेत्रीय अधिकारीः—इस जनसुनवाई कि समाप्ति की जाती है जय हिन्द। धन्यवाद एडीएम साहब। धन्यवाद आप सब पधारे यहॉ।

(शरद सक्सेना)
क्षैत्रीय अधिकारी
रा. प्र. नि. म. उदयपुर (राज.)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

(ओ0पी0 बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जिला उदयपुर (राज.)
(ओ.पी. बुनकर)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

संलग्नक : 1

मैसर्स मेघा मिनरल्स, क्वार्ट्ज माईन्स (एम.एल. सं. 60/2005, क्षैत्रफल–4.8750 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 4,32,251 **TPA (ROM)** एवं प्रस्तावित क्वार्ट्ज उत्पादन क्षमता 47,428 **TPA** निकट ग्राम--भारोड़ी, तहसील–गोगुन्दा, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 16.05.2023 को 11:30 **AM** बजे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम–भारोड़ी, में क्वार्ट्ज माईन्स, तहसील–गोगुन्दा, जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगणः–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	O. P. Bunkar	ADM Udaipur	[signature]
2	Sharad Saxena	RO RPCB Udaipur	[signature]
3	C. P. Jeengar	RO RPCB, Udaipur	[signature]
4	दिनेश चन्द	भीमाणी	दिनेश
5	[illegible]	उदयपुर	[signature]
6	देवीलाल/नानालाल जी सरपंच	पंचायत भारोड़ी	देवीलाल
7	मोहनसिंह जी/सुमेर सिंह पंच	भारोड़ी	[signature]
8	[illegible]	भारोड़ी	[signature]
9	[illegible]	भारोड़ी	[signature]
10	[illegible]	[illegible]	[signature]
11	[illegible] S/o [illegible]	भारोड़ी	Bhsingh
12	दिनेश/[illegible] जी	भारोड़ी	[signature]
12	[illegible]/गणेशलाल जी	भारोड़ी	Chela
13	[illegible]	भारोड़ी	[signature]
14	[illegible]	भारोड़ी	[signature]
15	[illegible]	भारोड़ी	[signature]
16	गोविन्द सिंह	भारोड़ी	गोविन्द
17	[illegible]	भारोड़ी	[signature]
18	हनुमान सिंह		
19	[illegible] सिंह	भारोड़ी	[signature]
20	रमेश सिंह	भारोड़ी	रमेश
21	जमशेद सैन	[illegible]	[signature]
22	हितेश	[illegible]	हितेश

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
23	अविन्द्रा सिंह देवड़ा	पटवारी पाटिया	[illegible]
24	[illegible]	N.T. Gogunda	[illegible]
25	[illegible]	Teacher	[illegible]
26	सतीश कुमार	Teacher	[illegible]
27	राम [illegible]	[illegible]	राम [illegible]
28	काना	[illegible]	काना
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30	Kaynat Aazam	CHIPL Udaipur	[illegible]

कि हमारी टीमों द्वारा विभिन्न खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका कारण सकारात्मक सोच और अप्रोच है।

हुई। घटना की जानकारी मिलते ही बालक की माता व परिजन सामान्य चिकित्सालय पहुचे।

ी अनुप्रति कोचिंग
के आवेदन मांगे

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के पोस्टर का विमोचन किया।

सोसाइटी उदयपुर को सिविल सेवा परीक्षा (यूपीएससी), राज्य सिविल सेवा परीक्षा (आरएएस), क्लेट, आरएसएसबी (पटवारी / जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 5 से 9 तक /ग्रामसेवक), राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षाओं की तैयारी के लिए अधिकृत किया गया है। अनुष्का एकेडेमी के निदेशक राजीव सुराणा ने बताया कि जो विद्यार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे आज ही अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर या अनुष्का एकेडमी की सेक्टर 3 शाखा पर जाकर नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं।

कता पर
त

बताते हुए कहा कि संकल्प वह शक्ति है जिसमें कोई रिवर्स गीयर नहीं होता अर्थात यदि युवा और विद्यार्थी वर्ग सही से संकल्प करे तो कोई भी नेगेटिविटी कभी भी आपको पीछे नहीं ले जा सकतीइसी तरह जीवन में उद्देश्य हर पल बदलते परिवेश में समय अनुरूप बदलते रहना जीवन के स्वभाव है,इसे स्वीकारा जाना चाहिए। अमूमन किसी भी बौद्धिक और अकादमिक कार्यक्रम में मंच से मुख्य वक्ता अपना वक्तव्य देते हैं लेकिन भंडारी के अपने पूरे संवाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी से एक एक करके प्रश्न एवं जिज्ञासाएँ पूछी और अपने लम्बे प्रशासनिक अनुभव और उदाहरणों से विषय को स्पष्ट किया।इसे सभी संभागियों द्वारा सराहा गया। डॉ देवेंद्र पानेरी के प्रशासनिक कार्य तहत संवेदना और व्यवस्था के द्वन्द,डॉ मनोज दुड़िया ने प्रतिबद्धता के द्वंद्व और श्रेणी और डॉ विशाल उपाध्याय के अभिरुचि अनुरूप चयन और उपस्थित उच्च शिक्षा विद्यार्थियों और शिक्षकों आदि ने जिज्ञासाएँ रखी।

भारतीय किसान संघ की बैठक

राजसमंद, (निसं)। जिला भारतीय किसान संघ की बैठक कृषी मण्डी प्रांगण में सम्पन्न हुई। प्रान्त उपाध्यक्ष प्रथाराम, विभाग अध्यक्ष गोकुल दास, विभाग मंत्री नारायण लाल के सानिध्य आयोजित बैठक में जिला कार्यकारिणी व तहसील पदाधिकारियों की मौजूदगी में आगामी दिनों जयपुर में आयोजित होने वाले धरना प्रदर्शन की रूप रेखा तय करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही बैठक में राजसमंद झील व अन्य जलाशय में पानी की आवक की कार्ययोजना पर चर्चा हुई। एडवोकेट गोपाल आचार्य ने बताया कि बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने राजसमंद झीलमें पहुँचने के स्रोत में अवरोध उत्पन्न करने वाले लोग को चिंहित कर अवरोध हटाने के लिए प्रशासन को सूचित करने तथा नहर परियोजना को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा करी। साथ ही संगठन को ग्राम स्तर तक मजबूत करने तथा जयपुर में 16 मई को आयोजित होने वाले आंदोलन की प्रत्येक गांव के किसान की भागीदारी सुनिश्च करने की रणनीति तय की गई। बैठक में भवानी शंकर पालीवाल, गोपाल आचार्य, भुवनेश्वर श्रीमाली, नानालाल आदि मौजूद थे।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक 11, माह अप्रैल, वर्ष 2023 को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार दिनांक 11.04.2023 को बकाया राशि रू. 4,85,627.26 (रूपये चार लाख पचासी हजार छह सौ सताइस एवं पैसे छब्बीस मात्र) प्लस दिनांक 12.04.2023 से ब्याज व अन्य खर्च व लागतों का पुनर्भुगतान करने के लिए पंजाब नैशनल बैंक, निम्बाहेड़ा शाखा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान के प्रभार के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री जगदीश चन्द पराशर पुत्र श्री ओंकार लाल पराशर के नाम व्यावसायिक ऑफिस नं. 209 एवं 210 जो तीसरी मंजिल, सिटी सेन्टर, सब डिविजनल ऑफिस से आगे, निम्बाहेड़ा-उदयपुर रोड़, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान पर स्थित है, जिसका कुल बिल्टअप एरिया 440 वर्ग फीट सुपर बिल्टअप एरिया 529 वर्ग फीट है। सीमाएं- उत्तर: आंटीएस एवं लौबी, दक्षिण: ऑफीस नं. 211 एवं मार्ग, पूर्व: लौबी 4 फीट 6 इंच, पश्चिम: रूपान्तरित भूमि

हस्ता.

(देवेन्द सिंह चुण्डावत)

प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबन्धक

स्थान: निम्बाहेडा
दिनांक: 11.04.2023

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

विधि/वसूली विभाग, मंडल कार्यालय, उदयपुर, एलआईसी भवन, तीसरा तल, सबसिटी सेन्टर, रेती स्टेण्ड के पास, उदयपुर
फोन नंबर: 0294-2688008/09/22/26, ई-मेल: cs8328@pnb.co.in

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

अधोहस्ताक्षरकर्ता देवेन्द्र सिंह चुण्डावत ने पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 सपठित, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में ऋणी श्री दिनेश कुमार खटीक पुत्र श्री नारू लाल खटीक एवं जमानतदार श्री नारू लाल खटीक पुत्र श्री बंशी लाल खटीक एवं श्रीमती नर्मदा बाई पत्नी श्री नारू लाल खटीक पर मांग सूचना दिनांक 02.02.2023 पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर दिनांक 31.01.2023 को बकाया राशि रू. 7,49,766.50 (रूपये सात लाख उनचास हजार सात सौ छियासठ एवं पैसे पचास मात्र) प्लस दिनांक 01.02.2023 से ब्याज व अन्य खर्च व लागतों का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने दिनांक 11, माह अप्रैल, वर्ष 2023 को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणियों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार दिनांक 11.04.2023 को बकाया राशि रू. 7,32,248.50 (रूपये सात लाख बतीस हजार दो सौ अड़तालीस एवं पैसे पचास मात्र) प्लस दिनांक 12.04.2023 से ब्याज व अन्य खर्च व लागतों का पुनर्भुगतान करने के लिए पंजाब नैशनल बैंक, बैगू शाखा, अहिंसा सर्कल, चित्तौड़गढ़ रोड़, चित्तौड़गढ़, राजस्थान के प्रभार के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री नारू लाल खटीक पुत्र श्री बंशी लाल खटीक एवं श्रीमती नर्मदा बाई पत्नी श्री नारू लाल खटीक के नाम सम्पत्ति जो बापी पट्टा नं. 112, वार्ड नं. 4, खटीक मोहल्ला, बैगू, चित्तौड़गढ़, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1192 वर्ग फीट है। सीमाएं- उत्तर: आम रोड़, दक्षिण: सीवेज एवं कब्रिस्तान, पूर्व: श्री बाबू लाल खटीक का मकान, पश्चिम: श्री बाबू लाल खटीक का मकान

हस्ता.

(देवेन्द सिंह चुण्डावत)

प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य प्रबन्धक

स्थान: चित्तौड़गढ़
दिनांक: 11.04.2023

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल

एफ:470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल: rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं. 0294-2491269
No:RPCB/ROU/UDR/44-47 दिनांक : 10/4/23

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय :- मैसर्स मेधा मिनरल्स, एम.एल.नं.60/2005 (क्षैत्रफल 4.8750 हैक्टेयर) "क्वार्ट्ज", ग्राम-भारोडी, तहसील-गोगुन्दा, जिला-उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स मेधा मिनरल्स, एम.एल.न.60/ 2005 (क्षैत्रफल 4.8750 हैक्टेयर) "क्वार्ट्ज", ग्राम-भारोडी, तहसील-गोगुन्दा, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्ट्ज माईन कलस्टर, कलस्टर का कुल क्षैत्रफल 23.1136 हैक्टेयर, कलस्टर में अन्य स्वीकृति खनन पट्टे (एम.एल.नं. 61/2005, क्षैत्रफल- 4.56 Ha.). (एम.एल.नं.- 93/2013, क्षैत्रफल-4.8122 Ha.)(एम.एल.न.-108/2005, क्षैत्रफल-4.80Ha.) (एम.एल.नं.-87/2011, क्षैत्रफल-4.0664Ha.) उत्पादन परियोजना क्षमता 47,428 टन प्रति वर्ष (रोम), कलस्टर का कुल उत्पादन 4,32,251 टन प्रतिवर्ष का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है।

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय-4, संस्थानिक क्षैत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए- 216, अरण्य भवन, संस्थानिक क्षैत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रिय भवन, 5 वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)
5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर।
6) उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा, जिला-उदयपुर।
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
8) क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षैत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अत: सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बधित लोक सुनवाई दिनांक 16.05.2023 (मंगलवार) को प्रात: 11.30 बजे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम -भारोडी, तहसील-गोगुन्दा, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल क्षैत्रीय कार्यालय उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षैत्रीय अधिकारी

ऽवार का इस घटना
। शांतिलाल मीणा ने
के पिता बदा पुत्र
आपकी बेटी की
प हॉस्पिटल पहुंचे।
रवारजनों के साथ
आ तब रास्ते में ही
ागीलाल ने बेटी की
े अस्पताल पहुंचने
ंचे और मृतका के
के खिलाफ मारपीट
े का मामला दर्ज
गांव वालों के बीच
र दो दिन से हंगामा
को दोनों गांवों के
ों की मौजूदगी में
य हुई। मौताणा राशि
। पोस्टमार्टम करवाने
गोवर्धनविलास थाने
लाल के नेतृत्व में हैड
े शव का मेडिकल
या। मेडिकल बोर्ड में
ा के सह प्राचार्य डॉ
भाग के डॉ मोहित
की डॉ अर्चना जैन
विभाग के डॉ नरेंद्र
र शव परिजनों के

देहात के पूर्व महामंत्री की शनिवार को हृदयघात से मृत्यु हो गई। उनका शव उन्हीं की कार में सीतामाता मंदिर के पास पार्क में पड़ा हुआ मिला। प्रथम दृष्टया मौत हृदयघात से होना बताया जा रहा है। उधर भाजपा नेता एवं अधिवक्ता की मौत की सूचना मिलते ही मुर्दाघर के बाहर अधिवक्ताओं एवं भाजपा नेताओं की भारी भीड़ जमा हो गई।

जानकारी के अनुसार नोटरी अधिवक्ता महेंद्र (46) पुत्र राधाकृष्णा औदिच्य निवासी बिछीवाड़ा झाड़ोल हाल शिवा कॉलोनी गायरियावास पिछले लम्बे समय से बीमारी से पीड़ित थे। उनका विभिन्न स्थानों पर इलाज कराया गया और वर्तमान में भी इलाज चल रहा था। शनिवार सुबह से ही वे डिप्रेशन में नजर आ रहे थे। वे अपनी ही कार को चलाते हुए मूड फ्रेश करने के लिए दूधतलाई की तरफ सीतामाता मंदिर के वहां पार्क के पास गए और झील से 50 मीटर दूरी पर ही अपनी कार को खड़ी कर एसी चालू कर अंदर बैठ गए। उधर शाम तक घर नहीं लौटने पर लोकेशन निकाली तो जलबुर्ज सीतामाता मंदिर के यहां आई। सूचना पर नाई थाने से एएसआई हरिराम मौके पर पहुँचे और देखा तो औदिच्य कार में मृत थे। प्रथम दृष्टया अधिवक्ता की मौत हृदयघात से होना प्रतीत हो रहा है। सूचना पर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, उपमहापौर पारस सिंघवी, पूर्व उपमहापौर महेंद्रसिंह शेखावत सहित कई भाजपा नेताओं के अलावा भाजपा अधिवक्ता परिषद के प्रदेश संयोजक प्रवीण खंडेलवाल, बार अध्यक्ष राकेश मोगरा, पूर्व अध्यक्ष भरत जोशी, मनीष शर्मा, रामकृपा शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश गुप्ता, प्रवीण गदिया, लोक अभियोजक संदीप दईया, कुलदीप परिहार, मानसिंह सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। अधिवक्ता औदिच्य युवा मोर्चा देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष व देहात भाजपा में महामंत्री के पद पर काम कर चुके है। उनके निधन की सूचना मिलते ही अधिवक्ताओं और भाजपा नेताओं में शोक की लहर छा गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई रविवार को होगी।

जिले में कोरोना ब्लॉस्ट, 51 नए संक्रमित रोगी

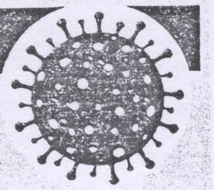

उदयपुर. नगर संवाददाता | उदयपुर जिले में कोरोना ब्लॉस्ट हुआ है, जिसमें शनिवार को जिले भर में 51 नए कोरोना रोगी मिले है। सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया ने बताया कि शनिवार को कोविड के 661 सैम्पल लेकर जांच की गई, जिसमें 51 पॉजिटिव एवं 610 नेगेटिव आए। 51 पॉजिटिव कोरोना रोगियों में 42 शहरी क्षेत्र में जिसमें 38 नए, 2 क्लोज कांटेक्ट तथा 2 कोरोना वारियर है। ग्रामीण क्षेत्र में 9 कोरोना पॉजिटिव रोगी आए 8 नए व 1 कोरोना वारियर है। अब तक कुल 76394 पॉजिटिव कोरोना आए, जिसमें से 75609 स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज हो गये है। 149 होम आईसोलेशन में तथा 157 कुल ऐक्टिव रोगी है।

भगवा

ा की गई।
णी सेना के
प्र सेना के
हिम्मत सिंह
भी ग्रामीण

जातिगत सौहार्द बिगाड़ने, राज्य कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला

श्री राष्ट्रीय राजपुत करणी सेना, विप्र सेना सहित हिंदू संगठनों ने सौपा ज्ञापन

इस मामले में पुलिस जवानों से धक्का मुक्की कर राज्य कार्य में बाधा उत्पन्न करने जातिगत वैमनस्यता फैलाने पर भाजपा के पूर्व जिला परिषद सदस्य बासलिया निवासी किशनलाल मेघवाल, नादेशमा निवासी राजेन्द्र मेघवाल, जसवंतगढ़ निवासी रूपलाल मेघवाल, भगवतीलाल मेघवाल, प्यारेलाल मेघवाल, राजेन्द्र मेघवाल, तेजा मेघवाल, सुरेश मेघवाल, रोशन मेघवाल, किशन मेघवाल, महेन्द्र मेघवाल, केशु मेघवाल, दिनेश मेघवाल, हेरीलाल मेघवाल, किशन मेघवाल, गोवर्धन मेघवाल, नरेश मेघवाल, रतन मेघवाल, गोगुंदा निवासी दुर्गेश मेघवाल, मुकेश मेघवाल, लक्ष्मण मेघवाल, जेमली निवासी प्रकाश मेघवाल, सोहन मेघवाल, कानजी का गुड़ा निवासी गेहरीलाल मेघवाल, भारोड़ी निवासी बंशीलाल मेघवाल, मनाजी का गुड़ा निवासी मुकेश मेघवाल सहित 27 जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ : 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादड़ी, उदयपुर (राज.)

ई-मेल: rorpcb.udaipur@gmail.com फोन नं. : 0294-2491269

No. : RPCB/ROU/UDR/44-47 दिनांक : 10/04/2023

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई के लिये आम सूचना

विषय : मैसर्स मेघा मिनरल्स, एम. एल. नं. 60/2006 (क्षेत्रफल 4.8750 हैक्टेयर) "क्वार्ट्ज" ग्राम भारोड़ी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स मेघा मिनरल्स, एम.एल.न. 60/2005 (क्षेत्रफल 4.8750 हैक्टेयर) "क्वार्ट्ज", ग्राम भारोड़ी, तहसील-गोगुन्दा, जिला- उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्ट्ज माईन कलस्टर, कलस्टर का कुल क्षेत्रफल 23.1136 हैक्टेयर, कलस्टर मे अन्य स्वीकृत खनन पट्टे (एम.एल. नं. 61/2005, क्षेत्रफल-4.56 Ha.), (एम.एल. नं.- 93/2013, क्षेत्रफल- 4.8122 Ha.), (एम.एल. नं.- 108/2005, क्षेत्रफल- 4.80 Ha.), (एम.एल. नं.- 87/2011, क्षेत्रफल -4.0664 Ha.) उत्पादन परियोजना क्षमता 47,428 टन प्रतिवर्ष (रोम), कलस्टर का कुल उत्पादन 4,32, 251 टन प्रतिवर्ष का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है :

1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर।
2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुंगरी, जयपुर।
4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.)
5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
6) उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा, जिला- उदयपुर।
7) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
8) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)

अतः सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 16.05.2023 (मंगलवार) को प्रातः 11.30 बजे. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम भारोड़ी, तहसील-गोगुन्दा, जिला- उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते है साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/ आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु

EPSON

लोक सुनवाई

EPSON

EPSON

RJ27 UC 0742